न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या–216 / 2026

(झाझा थाना कांड संख्या 118 / 2026 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

नन्दकिशोर यादव उर्फ नन्दकेश्वर यादव

बनाम

राज्य सरकार

आदेश

13.05.2026

1– प्रस्तुत जमानत आवेदन **नन्दकिशोर यादव उर्फ नन्दकेश्वर यादव** पिता रेबा यादव, उम्र 60 वर्ष, साकिन परासी, थाना झाझा, जिला जमुई के द्वारा धारा 190, 191(2), 115(2), 126(2), 74, 109, 351(2), 352 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। उक्त जमानत आवेदन पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार यादव तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को सुना गया। आवेदक दिनांक 13.03.2026 से कारा में संसीमित है।

2– अभियोजन का कथानक संक्षेप में यह है कि दिनांक 11.03.2026 को रात्रि लगभग 9:30 बजे सूचक का बेटा बहू अपने पुराने घर के अन्दर सो रहे थे तभी विनोद यादव पिता नन्दकेश्वर यादव सा0 परासी थाना झाझा जिला जमुई जो कि सूचक का गोतिया है वह अपने गलत निगाह से उन दोनों को पिछे कि खुले छेद से तांका झांका करने लगा। फिर सूचक की नजर उस पर पड़ी तो सूचक विरोध करके उसे मना करने लगा। इसी बात को लेकर विनोद यादव और उसके ही परिवार के ये लोग जिनमें से नरेश यादव पे0 रेबा यादव, नन्दकेश्वर यादव पे0 रेबा यादव, मिस्कौल यादव पे0 कामदेव यादव, विनोद यादव की पत्नी नाम नामालूम, गनिता कुमारी पे0 नन्दकेश्वर यादव सभी साकिन परासी थाना झाझा जिला जमुई। ये लोग अपने साथ लाठी रॉड कुल्हाड़ी से लैश होकर जबरन सूचक के घर पर आ धमके और गंदी गंदी गाली गलौज देकर सूचक एवं उसके परिवारवालों के साथ मारपीट करने लगे। उनलोगों के द्वारा किये गये प्रहार से सूचक को काफी चोट पहुंची है। सूचक उनके परिवार वालों के साथ मारपीट करने लगे। उनलोगों के द्वारा किये गये प्रहार से सूचक लोगों को काफी चोट पहुंची है सूचक लोगों के साथ मारपीट करने के क्रम में विनोद यादव जो सूचक लोगों की जान लेने के नियत से सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार करके सिर को जख्मी कर डाला है। सूचक का सिर फटकर घायल हो गया एवं सूचक के पिताजी शुकर यादव पे0 मेघू यादव के सीना कंधा, दाहिने हांथ पर चोट लगा है सूचक की पत्नी ईलायची देवी जौजे कौशल यादव के बदन व सिर पर अन्दरूनी चोट लगा है तथा सूचक का लड़का जितेन्द्र कुमार पे0 कौशल यादव को भी चोट लगा है। सूचक लोगों ने जब डायल 112 पर कॉल करके मदद मांगा तो वे लोग उन लोगों को वहां पर पहुंचता देखकर भागते हुए जल्द सूचक लोगों को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे थे। जिस कारण सूचक लोगों को उनलोगों से किसी अप्रिय घटना के होने का डर बन गया है।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को परिचालित कर निवेदन करते हैं, आवेदक दिनांक 13.03.2026 से कारा में संसीमित है। यह कि आवेदक का विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2026 को जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया था। यह कि आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अपने पर लगाए गए सारे आरोपों से इन्कार करता है। यह कि जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ है। यह कि सूचक लोगों द्वारा आवेदक व अन्य सहअभियुक्तों को बुरी तरह जख्म पहुंचाया गया है और आवेदक तथा अन्य सहअभियुक्तों द्वारा झाझा थाना कांड संख्या 117 / 2026 दर्ज कराया गया है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4– अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है तथा प्राथमिकी धारा 190, 191(2), 115(2), 126(2), 74, 109, 351(2), 352 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार आरोप है कि

लगातार.....

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या–216 / 2026

(झाझा थाना कांड संख्या 118 / 2026 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

नन्दकिशोर यादव उर्फ नन्दकेश्वर यादव

बनाम

राज्य सरकार

13.05.2026 आवेदकगण सहअभियुक्तों के साथ अपने साथ लाठी रॉड कुल्हाड़ी से लैश होकर जबरन सूचक के घर पर आ धमके और गंदी गंदी गाली गलौज देकर सूचक तथा उसके परिवारवालों के साथ मारपीट करने लगे। उनलोगों द्वारा किये गये प्रहार से सूचक लोगों को काफी चोट पहुंची है। सूचक के साथ मारपीट करने के क्रम में विनोद यादव ने सूचक का जान लेने के नियत से सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार करके सिर को जख्मी कर डाला इससे सूचक का सिर फटकर घायल हो गया है तथा सूचक के पिता शुकर यादव के कंधा व दाहिने हाथ पर चोट लगा है। अभी तक के वाद अनुसंधान के वाद दैनिकी की छायाप्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। प्राथमिकी के अवलोकन तथा साक्षियों के साक्ष्य के अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद के आवेदक पर कोई स्पष्ट आरोप नहीं है तथा किसी साक्षी ने यह भी साक्ष्य नहीं दिया है कि आवेदक द्वारा किसी भी जख्मी को किस हथियार से किस स्थान पर किस प्रकार जख्म पहुंचाया गया है। वाद दैनिकी की कंडिका 31 एवं 32 में अंतिम जख्म प्रतिवेदन अंकित है जिसमें जख्म की प्रकृति साधारण बतायी गयी है इस वाद में आवेदक दिनांक 13.03.2026 से कारा में संसीमित है। उपरोक्त विवेचन तथा इस वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों में आवेदक को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक द्वारा 10,000 / –रू0 के दो जमानतदार समान प्रतिभूओं सहित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत करने पर तथा निम्न शर्तों का पालन करने पर आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

शर्तें–

1. आवेदक वाद के अनुसंधान में पुलिस को तथा वाद के विचारण में न्यायालय को पूर्ण सहयोग करेंगे।

2. न्यायालय अथवा पुलिस द्वारा आवेदक को जब , जहां, जिस स्थान तथा जिस समय पर बुलाया जायेगा आवेदक बिना चूक किये उस स्थान पर सदेह उपस्थित रहेगा।

3. आवेदक इस वाद के तथ्यों तथा साक्षियों को न तो प्रभावित करेगा और न ही प्रभावित करने का प्रयत्न करेगा।

4. आवेदक के जमानतदारों के पास स्थायी संपत्ति तथा उक्त संपत्ति का कागजात जमानतदारों के नाम से होना आवश्यक है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, जमुई

मेमो सं0..... दिनांक–.....

प्रति अग्रसारित–न्यायालय, विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई